| ख्तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील/डिकी/टीए/1401/2003/नागौर<br>शान्ति बनाम मदनदास | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 06–02–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं0 49/2000 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 व 2/वादीगण ने सहायक कलक्टर, जायल के न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 के का0मु0 एवं प्रतिवादी सं0 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–99 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व

| ख्तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील/डिकी/टीए/1401/2003/नागौर<br>शान्ति बनाम मदनदास | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | डिक्री दिनांक 30–01–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।<br><br>हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।<br><br>इस अपील में निर्णय का मुख्य बिन्दू यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की गई है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दू को निर्धारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 03–03–99 को का0मु0 के नोटिस जारी किए जाने हेतु आदेश दिए गए थे परन्तु आगामी दिनांक पर दिनांक 03–03–99 हेतु जारी किए गए नोटिस के आधार पर एकतरफा कार्यवाही दिनांक 31–03–99 को की गई। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कायम मुकाम के नाबालिग होने का तथ्य राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष लाया गया था किन्तु उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए एकतरफा कार्यवाही को उचित माना है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील पर्याप्त रूप से नहीं करवाई गई है, ऐसी स्थिति में इसके आधार पर पारित निर्णय दूषित निर्णय की श्रेणी में आता है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। चूँकि हम इसी आधार पर प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक समझते है, ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे | |

| ख्तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील/डिकी/टीए/1401/2003/नागौर<br>शान्ति बनाम मदनदास | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पक्षकारान के हितों को प्रभावित कर सकते है।<br><br>उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है व राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2003, सहायक कलक्टर, जायल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–99 निरस्त किए जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर, जायल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) (शिखर अग्रवाल)<br>सदस्य सदस्य | |